

सूचना

सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा जीडीसीई 01/2019 के अन्तर्गत दिनांक 04.08.2021 से 06.08.2021 तक आयोजित की गयी सीबीटी परीक्षा के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतों में अन्य अभ्यर्थियों के अधिक अंक प्राप्त होने को आधार बनाकर माननीय कैट/इलाहाबाद में वाद सं. 330/638/2021 दायर किया था जिसमें माननीय कैट ने उक्त वाद को खारिज करते हुए निम्नवत् टिप्पणी की है—

*"The point is that, if there is no case of mis evaluation or wrong evaluation, how can there be a case of malpractice just on the grounds of high marks being obtained. It is common knowledge that for example the cut-off marks for admission in Delhi University colleges is even 100% and there are several candidates scoring 100% and a lot more in the range of 90-100 marks in their intermediate examinations. Does this imply a malpractice; certainly not so. So what is the conclusion? The conclusion is loud and clear. **There is no case of any malpractice made out by the applicants and hence it is best a misplaced gripe against being failed and not qualified.***

In the result on the basis of the discussions heretofore, we find no merit in the OA with regards to any malpractice and the same is therefore liable to be dismissed and is dismissed."

फिर भी उक्त परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोटि सं. 1 (सहायक स्टेशन मास्टर), 2 (गुडस गार्ड), 4 (वरिष्ठ लिपिक सह टंकक) 5 (वरिष्ठ वारिणज्य सह टिकट लिपिक), 6 (वाणिज्य लिपिक सह टिकट क्लर्क), 7 (कनि. लिपिक सह टंकक), 8 (गाडी लिपिक/परि.) कोटियों में 2nd Stage Exam कराना सुनिश्चित किया गया है। जिसकी तिथियों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इस कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।


(अतुल कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष